न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :– श्री बद्रीनारायण विश्नोई, (RAS)

मुकदमा नम्बर :– 113/2024

दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 Rt Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मारू पुत्र हकीम 2. अब्दुल रहमान पुत्र हकीम 3. इमामत पत्नी श्री हकीम 4. जुमा पुत्र हकीम 5. यार मोहम्मद पुत्र हकीम 6. लखमीर पुत्र हकीम जाति मुसलमान, निवासी सराईयों का तला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. अखाराम पुत्र रणछाराम के कायम मुकाम 1/1. रमेश कुमार पुत्र अखाराम 1/2. बाबूलाल पुत्र अखाराम 1/3. प्रकाश चन्द्र पुत्र अखाराम 1/4. धापूदेवी पत्नी अखाराम 2. लखूराम पुत्र रणछाराम 3. सताराम पुत्र रणछाराम 4. सुरेश कुमार पुत्र हंजाराम 5. सरसादेवी पत्नी हंजाराम 6. हनुमान पुत्र हंजाराम 7. तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित :– श्री मोहनलाल खिलेरी वकील वादी

निर्णय

दिनांक 15/10/25

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार का खेत मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 601/383 रकबा 6.4750 हैक्टेयर का आया हुआ है। वादीगण ने अपने खेत की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा में आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया, जो राजस्व आवेदन संख्या 42/2019 है। जिस पर न्यायालय श्री द्वारा वादीगण के आवेदन को स्वीकार कर वादीगण के खेत की पक्की नेखमबंदी करने हेतु दिनांक 14.05.2024 को तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया गया। जिस क्रम में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के निर्देशानुसार तहसीलदार सेड़वा, हल्का पटवारी व आरआई ने दिनांक 12.06.2024 को मौका निरीक्षण एवं मौका की जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया गया जिस पर वादीगण के खसरा संख्या 601/383 में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का 16.17 बीघा पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया है जो [illegible] में से दर्शाया गया है जो भूमि वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 601/383 में होना पाया गया तथा जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 09 द्वारा अवैध कब्जा व [illegible] होना पाया गया। जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण को वादीगण भूमि से अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:37:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

प्रतिवादीगण ने कब्जा नहीं हटाया तथा कब्जा हटाने से स्पष्ट मना कर दिया, जिस पर हल्का पटवारी व आरआई ने वादीगण को प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की सलाह दी गई। जिस पर वादीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के अवैध कब्जे को हटवाने के अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी की नहीं होकर वादीगण के खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 01 से 09 वादीगण के उक्त खेत खसरा संख्या 01 के सेढा पड़ौसी खातेदार है। जो बहुत ही बदमाश एवं झगड़ालू प्रवृति के तथा धनिक तथा बलशाली व्यक्ति है तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है जो संख्या बल में भी अधिक है तथा उक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 ने अपने प्रभाव एवं धनबल के आधार पर वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 601/383 में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में से कुछ भाग पर जबरन कब्जा कर रखा है जो रकबा की जमीने प्रतिवादीगण के खातेदारी की नहीं है मात्र प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव तथा धनबल के आधार पर वादीगण के शांतिप्रिय व्यक्ति होने व उनके गरीबी का फायदा उठाकर वादीगण की जमीन को हड़पने के लिये उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण अपने उक्त भूमि पर जो प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है उस पर से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटवाया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादीगण धनबल एवं राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने से कब्जा हटाने में आना कानी कर रहे है इसलिये वादीगण के खातेदारी की जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ होने से प्रतिवादीगण को अवैध कब्जे से बेदखल करवाकर कब्जा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण के उक्त शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त की खातेदारी की जमीन में से कुछ भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन एवं अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है जिसको इस वाद के जरिये बेदखल कर कब्जा नहीं हटवाया तो प्रतिवादीगण का कब्जा दिनोंदिन पक्का व पुख्ता हो जावेगा, जिसको भविष्य में हटवाने के लिये भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में कभी पूर्ण नहीं कर सकेगे व प्रतिवादीगण जबरन व धनबल के आधार पर वादीगण की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि को हड़प कर लेगे, जिससे वादीगण को उक्त वाद आदि प्रस्तुत करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, इसलिये वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि जो प्रतिवादीगण ने वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि में से कब्जा हटवाने के वाद वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई किसी प्रकार की दंखलन्दाजी न तो स्वयं ही करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें तथा न ही जबरन [illegible]ने के लिये बल का प्रयोग करें, जिसे यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश [illegible] द्वारा अपने खातेदारी की भूमि की नेखमबंदी का आदेश करवाकर वादीगण [illegible] की भूमि की पैमाईश की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:37:46 IST
Reason: SelfAttested

(2)

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

तथा दौराने पैमाईश वादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 601/383 पर प्रतिवादीगण का अवैध अतिक्रमण पाया, जिस पर प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया और प्रतिवादीगण कब्जा पुख्ता करने के लिये तैयार हो गये, तब तब बमुकाम सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में वाद कारण पैदा हुआ। वादीगण के खातेदारी की भूमि मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 601/383 रकबा 6.4750 हैक्टेयर ने जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है, जो नेखमबंदी प्रकरण संख्या 42/2019 की मौका फर्द में मार्क ए–बी से दर्शाया गया है, पर गये अवैध कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त की जमीन में न तो स्वयं व न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की दंखलअन्दाजी पैदा नहीं करें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से 09 से विशेष हर्जा खर्चा व हर्जाना के रूपये 50000/– दिलाये जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजि0 एडी से तलब किये गये जिस की और से कोई उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद कोई उप. नही हुआ अतःउनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।वादीगण वकील द्वारा वादी साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 मारू पुत्र हकीम जाति मुसलमान, निवासी सराईयों का तला, तहसील सेड़वा, PW-2 यार मोहमद पुत्र हकीम जाति मुसलमान, निवासी सराईयों का तला तहसील सेड़वा, प्रदर्श ई.एक्स.पी.1 जमाबंदी मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खाता संख्या 111 के खसरा संख्या 601/383 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, किस्म बा0सो0, प्रदर्श ई.एक्स.पी.2 आंशिक नक्शा किश्तवार मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खाता संख्या 111 के खसरा संख्या 601/383 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, किस्म बा0सो0, प्रदर्श ई.एक्स.पी.3 नेखमबंदी मौका फर्द मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खाता संख्या 111 के खसरा संख्या 601/383 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, किस्म बा0सो0 की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit)करवाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:37:46 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण उपस्थित। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उन पर वादीगण वकील की विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन–मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183,188 रा.का.अधि. 1955 आंशिक स्वीकार योग्य है। अस्तु, वादीगण का वाद आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 12.06.2024 में वर्णित/दर्शित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा सराईयो का तला, पटवार हल्का जानपालिया, भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के खाता संख्या नया 111 के खसरा संख्या 601/383 रकबा 6–4750 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से किए गए कब्जे से भौतिक रूप से बेदखली कर वादीगण को कब्जा सुपूर्द किए जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी पालना रिपोट(प्रदर्श 03) दिनांक 12.06.2024 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। अस्तु, इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/25 को खुले न्यायालय/सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:37:46 IST
Reason: SelfAttested